

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

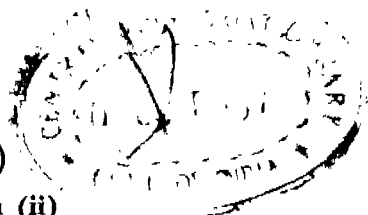
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० ४०७]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर १३, १९७२/भाद्र २२, १८९४

No. 407]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 1972/BHADRA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th September 1972

S.O. 592(E).—In pursuance of clause (d) of section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the Central Government hereby nominates the following persons to be members of the All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi namely:—

Representative of the Ministry of Finance

1. Shri S. R. Mehta, Joint Secretary, Ministry of Finance (Department of Expenditure).

Representative of the Ministry of Education and Social Welfare

2. Dr. L. S. Chandrakant, Educational Adviser (Tech.) Ministry of Education and Social Welfare.

[No. V. 16011/2(A)/72-ME(PG).]

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1972

एस० ओ० 592(अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 के खण्ड (घ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के सदस्य मनोनीत करती है :—

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस आर० मेहता,
संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय,
(व्यय विभाग)।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि

2. डा० एल० एस० चन्द्रकान्त,
शिक्षा सलाहकार (तकनीकी),
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय।

[सं० बी/16011/2 (ए)/72-एम० ई० (पी० जी०)]

S.O. 593(E).—In pursuance of clause (e) of section 4 of the All-India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the Central Government hereby nominates Dr. S. Bhagavantham (525-Rajmahal Extension Bangalore-6), representative of the Indian Science Congress Association and the following persons as members of the All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi namely:—

- (1) Shri Uma Shankar Dikshit, Minister for Health and Family Planning.
- (2) Shri K. K. Dasa, Secretary, Ministry of Health and Family Planning.
- (3) Prof. M. S. Thacker, 2-A, Mafatlal Park, Warden Road, Bombay.
- (4) Dr. A. K. Basu, 21 D, Raja Santosh Road, Calcutta-27.

[No. V. 16011/2(B)/72-ME(PG).]

एस० ओ० 593(अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 के खण्ड (ङ) का अनुसरण करते हुए भारत सरकार एतद्वारा इण्डियन साइंस कांग्रेस एसोसियेशन के प्रतिनिधि डा० एस० भगवन्तम (525, राजमहल एक्सटेंशन, बंगलूर 6) तथा निम्नलिखित व्यक्तियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्य मनोनीत करती है :—

1. श्री उमाशंकर दीक्षित,
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री।
2. श्री कौशल कुमार दास,
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के सचिव।
3. प्रो० एम० एस० ठक्कर,
2-ए, मफतलाल पार्क,
वार्डन रोड, बम्बई।
4. डा० ए० के० बसु,
21-डी, राजा संतोष रोड,
कलकत्ता-27।

[सं० बी/16011/2(बी०)/72-एम० ई० (पी० जी०)]

S.O. 594(E).—In pursuance of clause (f) of section 4 of the All-India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) read with rule 3 of the All-India Institute of Medical Sciences Rules, 1958, the Central Government hereby nominates the following persons to be members of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, namely:—

- (1) Dr G. K. Karandikar, Dean, Grant Medical College, Bombay-8.
- (2) Dr. K. Narayana Pai, Director and Professor of Post-graduate Studies in Medicine, Medical College, Trivandrum.
- (3) Dr. Pritam Singh, Professor of Anaesthesia, Gurunanak University, Amritsar.
- (4) Dr. M. N. Bhattacharya, Principal, Assam Medical College, Dibrugarh, Assam.

[No. V. 16011/2(C)/72-ME(PG).]

एस० ओ० 594 (प्र).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नियमावली, 1958 के नियम 3 के साथ पठनीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 के खण्ड (च) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्य मनोनीत करती है:—

- (1) डा० जी० के० करन्दिकर,
डीन, ग्राण्ट मेडिकल कालेज,
बम्बई-8।
- (2) डा० के० नारायण पै,
निदेशक तथा चिकित्सा शास्त्र स्नातकोत्तर अध्ययन
के प्राध्यापक,
मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम।
- (3) डा० प्रीतमसिंह,
विज्ञान शास्त्र के प्राध्यापक,
गुरु नानक विश्वविद्यालय,
अमृतसर।
- (4) डा० एम० एन० भट्टाचार्य,
प्रधानाचार्य,
असम मेडिकल कालेज,
डिब्रूगढ़, असम।

[सं० वी० /16011/2 (सी)/72-एम० ई० (पी० जी०)]

S.O. 595(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the Central Government hereby nominates Shri Uma Shankar Dikshit as the President of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

[No. V. 16011/2(D)/72-ME(PG).]
V. S. TALWAR, Dy. Secy.

एस० ओ० 595(अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री उमाशंकर दीक्षित को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का अध्यक्ष मनोनीत करती है ।

[संख्या वी० 16011/2 (बी)/72—एम० ई० (पी० जी०)]

विद्या सागर तलवार

उप सचिव ।